



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )पंरावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस. प्रशिक्षण/2010/ 508 जयपुर, दिनांक:- 3-3-16

—:आदेश:—

राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा बैच-2008 के दो अधिकारी यथा श्रीमती प्रियंका मीणा, विकास अधिकारी पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा एवं सुश्री पिंकी शर्मा, विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर द्वारा संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के उक्त दोनो अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में दिनांक 4.3.2016 को प्रातः 9:30 बजे बैच-2012 के साथ संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। संस्थानिक प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर सेवा में नियमितिकरण नहीं किया जावेगा।

(गिरीश पाराशर)  
शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर
3. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर एवं दौसा।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति लालसोट एवं दूदू।
5. सम्बन्धित अधिकारियों को पालनार्थ।
6. प्रोगामर मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
7. संबंधित अधिकारी।
8. आदेश पत्रावली।

(गिरीश पाराशर)  
शासन उप सचिव (प्रशा-1)